मैंने कोई गलती नहीं की

विदेश दौरे पर महापौर ने कहा : निजी सहायक के रूप में पुत्र को साथ ले गई थीं

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

नागपुर - महापौर द्वारा पुत्र को पीए बताकर विदेश दौरे पर ले जाने के मामले को लेकर गत 10 दिनों से शहर की राजनीति में मचे भूचाल को देखते हुए शुक्रवार को शहर लौटी महापौर नंदा जिचकार की ओर से भले ही इसमें किसी तरह की गलती नहीं होने का खुलासा किया गया हो, लेकिन पूरे मामले में केवल लीपापोती के अलावा कुछ भी उजागर नहीं किया जा सका. तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मनपा में निजी सचिव रखने का कोई नियम ही नहीं है. इसकी भलीभांति जानकारी होने के कारण ही निजी सचिव नहीं, बल्कि पुत्र को निजी सहायक के रूप में विदेश दौरे पर ले गई. इसके अलावा यह कार्यक्रम ग्लोबल कोवेन्नट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनजी (जीकाम) संस्था की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें महापौर की बनाई गई परिषद में दक्षिण

एशिया से उनके प्रवेश का कार्यक्रम था. सरकारी कार्यक्रम नहीं होने से इसमें नियमों का उल्लंघन होने जैसा कुछ भी नहीं है. पत्र परिषद में सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी उपस्थित थे.

नेताओं के घर लगाई हाजिरी

शुक्रवार की सुबह शहर पहुंची महापौर को उनके दौरे से मची खलबली और पार्टी की छवि पर पड़ रहे असर की भनक पहले से ही थी. यही कारण है कि सर्वप्रथम स्पष्टीकरण देने के लिए नेताओं के घर हाजिरी लगाई गई. बताया जाता है कि शहर अध्यक्ष सुधाकर कोहले को दौरे के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया. उनसे चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी शहर में होने और उनकी नाराजगी की सूचना मिलते ही महापौर ने गड़करी से भी भेंट की, जहां उन्हें भविष्य में इस तरह की गलतियों को लेकर सजग रहने की हिदायत दिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी. सूत्रों के अनुसार महापौर द्वारा किसी को बिना बताए किया गया विदेश दौरा भले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी उचित ना लग रहा हो, लेकिन अब इस मुद्दे पर हावी हो रहे विपक्षी दलों का प्रखरता से सामना करने का निर्णय लिया गया.

तो पुत्र को निगमायुक्त बना दें सीएम : विशाल

महापौर का यह दावा करना कि समूची मनपा में उनके पुत्र इतना लायक दूसरे अफसर नहीं पर कांग्रेस नेता विशाल मुत्तेमवार ने जमकर खरीखोटी सुनाई. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से अनुरोध किया कि यदि वे भी महापौर के बयान से सहमत हैं तो उनके पुत्र की काबिलियत को देखते हुए सीधे निगमायुक्त के पद पर नियुक्त कर दें. वैसे भी निगमायुक्त पद की भी गरिमा बीजेपी वालों ने खत्म ही कर दी है. यदि सीएम सहमत नहीं हैं तो बगैर एक मिनट का भी वक्त गंवाए महापौर को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये. विशाल ने कहा कि बीजेपी में वैसे भी नैतिकता बची नहीं है, इसलिए महापौर पर कोई एक्शन होगा, इसकी उम्मीद करना भी बेकार है.

चर्चा के लिए तैयार : जोशी

इस संदर्भ में सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी ने कहा कि विपक्ष की मांग के अनुसार सत्तापक्ष किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है.

इस्तीफा दें : जमाल

विपक्षी दल बसपा के गुटनेता मोहम्मद जमाल ने कहा कि नैतिक आधार पर महापौर को इस्तीफा देना चाहिए.

बड़े करदाताओं के 25 फीसदी रिटर्न ही हो सके हैं फाइल

फार्मेट में संशोधन से फंसे इनकम टैक्स रिटर्न

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

नागपुर - आयकर के फार्मेट में नित हो रहे संशोधनों के चक्कर में बड़े करदाताओं के इनकम टैक्स रिटर्न फंस गए हैं. अब तक केवल 25 फीसदी करदाताओं के रिटर्न फाइल होने का दावा किया जा रहा है. इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वित्त मंत्रालय से रिटर्न फाइल करने की समयसीमा को बढ़ाने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि छोटे करदाताओं एवं वेतन भोगियों के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. लेकिन टीडीएस का अपडेशन जुलाई महीने में नहीं हो सका. इसी कारण रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त करनी पड़ी इस समयावधि के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 5 हजार रुपए तक कि पेनाल्टी देनी होगी.अब बड़े करदाताओं (दो करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर) के रिटर्न फाइल हो रहे हैं. लेकिन इसमें भी पेंच फंस गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के केंद्रीय सचिव जल्फेश शाह कहते हैं कि 31 अगस्त तक सीए छोटे करदाताओं के रिटर्न फाइल करने में व्यस्त थे. इसके बाद बड़े करदाताओं के रिटर्न की बारी आई. इसके लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख है. लेकिन आयकर विभाग ने इसी आर्थिक वर्ष में इसके फार्मेट को आठ से दस बार बदल डाला. पहले जीएसटी ऑडिट को फार्मेट में शामिल किया गया. फिर संशोधन कर ऑडिट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जीएसटी की जानकारी देनी होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वित्त मंत्रालय को तीन बार ज्ञापन देकर रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ाने की मांग की है.

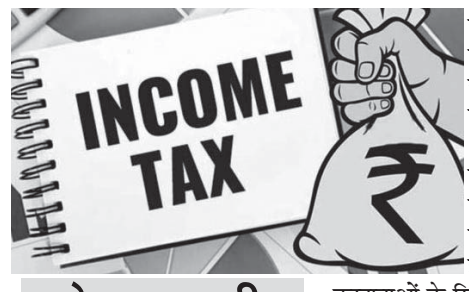

वेबसाइट भी नहीं दे रही साथ

शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट भी समस्या की वजह बनी हुई है. यह साइट अक्सर खुलती ही नहीं है. जब खुलती है तो स्पीड काफी कम होती है.

बंद ट्रांसफार्मर शुरू करने के लिए बकाया बिल भरना अनिवार्य

836.63 करोड़ रु. बिजली बिल बकाया

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

अमरावती - जिले के जिन किसानों पर महावितरण विभाग का 25 हजार रुपए बिजली बिल बकाया है, ऐसे किसानों को 3 हजार रुपए और जिन किसानों पर 25 हजार के ऊपर बकाया बिल है, उन किसानों को 5 हजार रुपए राशि भरना अनिवार्य है, ऐसे आदेश हाल ही में प्राप्त हुए हैं. जिले में कुल 30 से 35 ट्रांसफार्मर शुरू करने के लिए उन किसानों को बकाया बिल की राशि भरना अनिवार्य किया गया है. बकाया बिजली बिल भरने पर ही ट्रांसफार्मर शुरू किए जाएंगे, ऐसी जानकारी महावितरण के अधीक्षक अभियंता सुहास मेहत्रे ने दी है.

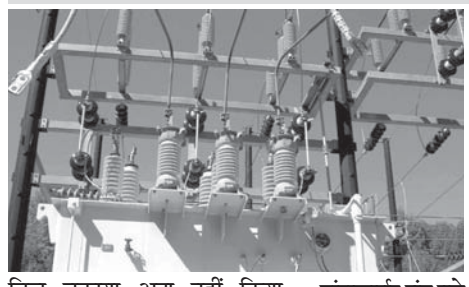

बताया जाता है कि अमरावती जिले में कुल 1 लाख 29 हजार 700 किसान महावितरण के ग्राहक हैं. विगत कई वर्षों से किसानों ने कृषि पम्पों का महावितरण को बिजली बिल बकाया अदा नहीं किया. जिसके चलते यह राशि अब 836.63 करोड़ तक पहुंच गयी है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान ने अपना बकाया बिजली बिल बकाया अदा नहीं किया, इसके बावजूद भी महावितरण कंपनी ने किसी भी किसान की कृषि पम्प की बिजली नहीं काटी. क्योंकि खेती पर ही किसानों का जीवन निर्भर रहता है. दिन-ब-दिन बकाया बिल की राशि बढ़ते जाने के चलते महावितरण कंपनी के डायरेक्टर ने 18 सितंबर को आदेश जारी किए हैं कि जिले के जो ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, जिन पर कृषि पम्प चलाए जाते हैं. ऐसे ट्रासफार्मर शुरू करने के लिए किसानों से बकाया बिल वसूल करना पड़ेगा. जिन किसानों पर 25 हजार रुपए बिल बकाया है उनको 3 हजार रुपए बकाया बिल भरना होगा और जिन किसानों पर 25 हजार के ऊपर बकाया बिल होगा, उन किसानों से ... हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं. जब तक यह किसान बकाया बिल की रकम नहीं भरेंगे, तब तक यह ट्रांसफार्मर शुरू नहीं किए जाएंगे, ऐसे आदेश महावितरण कंपनी के डायरेक्टर ने जिले के अधीक्षक अभियंता को दिए हैं. जिसके चलते महावितरण कंपनी के कर्मी काम से लगे हैं. जिले के कुल 30 से 35 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. एक ट्रांसफार्मर पर 20 से 25 किसानों के कृषि पम्प चलते हैं.

> जिले में कुल 30 से 35 ट्रांसफार्मर बंद हैं. एक ट्रांसफार्मर पर लगभग 25 से 30 किसानों के कृषि पम्प चलते हैं. फिलहाल यह ट्रांसफार्मर शुरू करने के लिए संबंधित किसानों को कम से कम 3 हजार और ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपए बिजली बिल की बकाया राशि भरना होगा.
>
> **-सुहास मेहत्रे**, अधीक्षक अभियंता, महावितरण कं.

---

40 बदमाश तड़ीपार

आकोट-शहर

अतिसंवेदनशील होने से गणेश विसर्जन को लेकर आकोट शहर पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की हैं. विसर्जन के दिन कड़ा पुलिस बंदोबस्त रहने वाला है. आकोट शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार गजानन शेलके और उनके सहायक अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक फड, पुलिस उपनिरीक्षक गवई, शिंदे आदि प्रत्येक गणेश मंडल को भेंट देकर कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और महाआरती में शामिल हो रहे हैं. विसर्जन के दिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शहर में न रहें इसके लिए उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह राजपूत ने 40 बदमाशों को 23 और 24 सितंबर को शहर से बाहर जाने का आदेश दिया है.

जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 228 करोड़ का प्रस्ताव

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

अमरावती - जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 228 करोड़ का प्रस्ताव सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा सरकार को पेश किया गया है. शीघ्र ही इस संदर्भ में सरकार द्वारा कार्रवाई होकर यह काम पूर्ण होंगे, ऐसा विश्वास सार्वजनिक लोकनिर्माण राज्यमंत्री तथा

प्रवीण पोटे

पालकमंत्री प्रवीण पोटे ने दी जानकारी

पालकमंत्री प्रवीण पोटे ने बुधवार को व्यक्त किया. पालकमंत्री के आदेश पर सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा रेवसा-कठोरा रास्ते को फोरलेन व कांक्रीटीकरण के साथ उड़ान पुल का निर्माणकार्य और कैम्प शार्ट रास्ता (रामा-299) के कांक्रीटीकरण के साथ फोरलेन का प्रस्ताव भेजा गया है. केंद्रीय परिवहन निधि अंतर्गत प्रस्ताव दिया गया है.

राष्ट्रीय महामार्ग 6 से रामा-299 को जोड़ने वाले रेवसा-कठोरा रास्ते का फोरलेन और कांक्रीटीकरण के लिए 71 करोड़ 85 लाख रुपए तथा यहां के उड़ान पुल के लिए 95 करोड़ 1 लाख रूपए प्रस्तावित हैं. अमरावती कैम्प शार्ट रातस रामा-299 के कांक्रीटीकरण के साथ फोरलेन के लिए (पंचवटी चौक से राजपूत ढाबा) 61 करोड़ 16 लाख रुपए प्रस्तावित हैं. शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण होंगे, ऐसा पालकमंत्री ने पोटे को बताया.

देना बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी अरेस्ट

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

नागपुर - देना बैंक की विभिन्न ब्रांचेस से करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में शहर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मुख्य आरोपियों में शामिल समीर भास्कर चट्टे को धरदबोचा गया. समीर ने अपने मामा दिलीप कलेले की मां अनुसुया ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर देना बैंक की धरमपेठ शाखा से प्लास्टिक की कुर्सियां, टेबल और अन्य फर्नीचर बनाने के नाम पर 2 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट कार्ड लिया था, लेकिन बैंक को क्रेडिट वापस जमा नहीं किया. इस मामले में पुलिस ने कम्पनी के संचालक दिलीप मोरेश्वार कलेले, अनीता अरूण नागभीडकर, समीर भास्कर चट्टे, मेसर्स आदिनाथ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कम्पनी के संचालक मेहुल रजनीकांत धुवाविया और समीर की कम्पनी तुलजा भवानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर मामला दर्ज किया था. इसके बाद समीर फरार था. इसी दौरान छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना में समीर बुरी तरह घायल हो गया था. उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया था. पुलिस इसके डिस्चार्ज होने की राह देख रही थी.

---

6 वर्षों में 610 किसानों को कीटनाशक से विषबाधा

5 माह में 95 किसान बाधित

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

अमरावती- कीटनाशक का छिड़काव करते समय 6 वर्ष में 610 किसानों, खेत मजदूरों को विषबाधा होने की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुई है. इसमें सर्वाधिक 209 किसानों को गत वर्ष विषबाधा हुई.

जिसमें से 3 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है. कीटनाशक कंपनियों के द्वारा किसानों को छिड़काव के दौरान जो सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसी सामग्री उपलब्ध ना करवाने के कारण विषबाधा हुई है, ऐसा रिपोर्ट में उल्लेख है.

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार 2012 से 2017 की कालावधि में 505 किसान व कृषि मजदूरों को कीटनाशक विषबाधा हुई. 2012 में 72, 2013 में 55, 2014 में 62, 2015 में 57, 2016 में 50, 2017 में सर्वाधिक 209 किसानों व कृषि मजदूरों कीटनाशक विषबाधा हुई.

गत वर्ष यवतमाल जिले में 20 व विदर्भ में 35 किसानों की मौत होने के बाद कीटनाशक छिड़काव यह मौत का छिड़काव रहने का मामला उजागर हुआ. शासन ने इस विषय को गंभीरता से लिया है.

कृषि विभाग द्वारा छिड़काव के संदर्भ में जनजागृति की जा रही है. इस पर प्रभावी तरीके से अमल न होने के कारण किसान विषबाधित हो रहे हैं, यह सच्चाई है.

बुआई के बाद 4 माह में बड़े प्रमाण में विषबाधित मामले सामने आए. गत वर्ष जनवरी माह में 6, फरवरी 3, मार्च 5, अप्रैल 3, मई 6, जून 10, जुलाई 17, अगस्त 35, सितंबर 62, अक्टूबर 32, नवंबर 26 व दिसंबर माह में 4 किसानों व खेत मजदूरों को कीटनाशक छिड़काव के दौरान विषबाधा हुई.

थैलेसीमिया व सिकलसेल के बच्चों को मिलेगा शिक्षा व नौकरी में आरक्षण

डॉ. विंकी रूघवानी के प्रयासों को मिली सफलता

प्रतिनिधि, 22 सितंबर

नागपुर- केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगता के विभिन्न प्रकार किए हैं, जिसमें रक्तदोष से आने वाले दिव्यांगता का भी समावेश किया गया है तथा उन्हें शिक्षा में आरक्षण भी दिया गया है. लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में थैलेसीमिया व सिकलसेल जैसे रक्तदोषों से पीड़ित बच्चों को इन अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा था.

थैलेसीमिया व सिकलसेल सेंटर के संचालक डॉ. विंकी रूघवानी ने थैलेसीमिया और सिकलसेल से पीड़िता रुग्णों को आरक्षण तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की मांग की थी. मानसून सत्र के दौरान डॉ. विंकी रूघवानी, डॉ. सुहास वाघे और अन्य थैलेसीमिया व सिकलसेल रुग्णों के पालकगण ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मांग को लेकर आवेदन दिया. मुख्यमंत्री ने सामाजिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग और समाज कल्याण विभाग को इस मामले पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

विंकी रूघवानी

डॉ. रूघवानी के प्रयत्नों के फलस्वरूप थैसेसीमिया, सिकलसेल के साथ कुल 21 रक्तदोष से उत्पन्न होने वाली दिव्यांगताओं के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. इस प्रमाणपत्र के लिए रुग्णों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. थैलेसीमिया व सिकलसेल अत्यंत गंभीर रोग है. इसमें रुग्णों को बार-बार खून चढ़ाना, शारीरिक पीड़ा जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. दिव्यांगता में शामिल होने से इन रुग्णों को बड़ी दिलासा मिली है. थैलेसीमिया व सिकलसेल सेंटर के संचालक डॉ. विंकी रूघवानी ने सभी रुग्णों तथा उनके परिजनों की ओर से मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन किया है.

आज का इतिहास — 23 सितंबर

1862	प्रसिध्द राष्ट्रवादी नेता श्रीनिवास शास्त्री का जन्म.
1863	क्रांतिकारी राव तुलाराम का निधन.
1932	सऊदी अरब का गठन हुआ.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
AMRAVATI ELECTRICAL DIVISION,
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, AMRAVATI.
E-TENDER NOTICE NO. 61 FOR 2018-2019

TENDER NOTIFICATION UNDER E-PROCUREMENT

Online tenders in B-1 form are invited by Executive Engineer, Amravati (Electrical) Division, Public Works Division, Amravati on behalf of Governor of Maharashtra from qualified bidders for the following works under E-Tender procedure. **Work Name : Estimate No. 326 /EE/BLD12018-19:** Providing Street Light to Sky Walk Under Shagaon Vikas Arakhada at SHEGAON, Dist. Buldhana, **Rs. 18,11,730/-.**

Tender form, conditions of contract, specifications and contract drawings can be downloaded from the eTendering.portal of Public Works Department. Government of Maharashtra i.e. https://mahatenders.gov.in after entering the details, payment of **Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) should be paid online using payment gateway. The fees of tender document will be non refundable.** Further information regarding the work can be obtained from the above office.

It is mandatory to submit the Hard copy of the tender Documents duly sealed to any one of the following offices : (1) Executive Engineer, Amravati Electrical Division. PWD Amravati (2) Superintending Engineer, Nagpur Regional Electrical Circle, PWD Nagpur, (3) Chief Engineer Electrical, PWD Bandhkam Bhavan, 3rd floor, Marzban Road, Fort Mumbai-40000l (4) Deputy Secretary. PWD Mantralaya, mumbai within 72 hours from the time of Bid Lock, by the Bidder along with the receipt of submission, if the office happens to be closed on the date of receipt of the hard copy- as specified, the hard copy will be received on the next working day. Bid will be opened as per the schedule in the presence of the bidders who wish to attend.

Additional Performance Security Deposit (If required), shall be uploaded on line in enveplon No. 2 and DD/B.G. /FDR should be submitted in sealed covers addressed to the **Executive Engineer. P. W. D. Electrical Division, Amravati,** with the name of the work written at the top of the envelope will be received in the office of the **Executive Engineer. P. W. D. Electrical Divisiom..Amravati (As per Note below).** Bids will be opened as per the Tender Schedule, in the presence of such intending Tenderers or his/ their authorized representatives who may be present at that time.

Note: I) Payment of GST
i) Bidder shall quote his rate excluding GST.
ii) GST shall be payable on the accepted contract value.
iii) GST shall be paid to contractor on the amount of bill of work done as per prevailing rate of GST during the period of work done. ""

2) Additional Performance Security Deposit applicable as per Govt. of Maharashtra GR. No. बीडीजी2016/प्र.क्र. 2/इमा-2, दिनांक 12.02.2016 and ammendments dated-17.03.2016 & 01.04.2017 & 27/06/2017 and Circular No. Sankirna 2017/CR-121 (II)/Bld-2, PWD, Mantralaya Mumbai, Dtated 19/09/2017. (Details as given on paqe No.14)

: TENDER SCHEDULE :

Period of download of bidding document	:	From 21.09.2018 Time 10.00 Hours To 05.10.2018 Time 18.55 Hours
Receipt of online EMD, Tender Document fees, to be paid online only via Payment Gateway mode Only.	:	Document Tender Fee and EMD) to be paid via online mode only.
Place time and date of opening technical bids	:	Office of the Executive Engineer, P.W. (Electrical) Division, Amravati. Date 09.10.2018 Time 10.00 to 18.55 Hours
Place, Time and date_ of opening financial bids	:	Office of the Executive Engineer, P.W. (Electrical) Division, Amravati. Date 09.10.2018 Time 10.00 to 18.55 Hours
Performance Security Deposit		If the Tenderer is below the Scheduled cost more than 1% it is mandatory to upload online, the Scanned Copy of Original D.D. /BC/FDR in the name of The Executive Engineer, Amravati Electrical Division P.W.D. Amravati drawn on Nationalised /Scheduled :Bank. D.D. should be valid for 3 months from the date of submission of the tender in ENVELOPE NO.2 against the Additional Prformance Security Deposite. The Amount of D.D. /B.G. /FDR shall be as per G.R.No बीडीजी2016/प्र.क्र. 2/इमा-2, दिनांक 12.02.2016 & Govt. Corrigendum Dt. 17.03.2016, Dt. 27/06/2017 and No सीएटी /2017/प्र.क्र. 8/इमा-2, दिनांक 29/06/2017 The Original D.D. /B.G. /FDR shall be submitted in the office of the Executive Engineer within 72 Hrs. from time of bid lock of the tender. The details of performance security deposit for below tender are given in Clause No.1.5 & 1.9.B on page No. 12, 13 & 14 of this D.T.P.
Registration Class Of Contractor	:	Contractor Registered in Appropriate Class

Lr. No./Ex. En./(Ele.)/Amt./T.C./ 2881 / 2018
Office of the Executive Engineer (Electrical) Division
Amravati P.W. (Electrical) Division, P.W.D. Compound, Camp, Amravati.
Email : elamaravati.ee@mahapwd.com **Date: 18/09/2018.**

(H.H.Patil)
Executive Engineer Amravati Electrical Division
Public Works Division Amravati
वि.मा.का./अम./जाहि./773 2017-2019

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com 'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.